राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांकः एफ 12(6) वित्त/नियम/2008 **जयपुर , दिनांकः 5 DEC 2016**

परिपत्र

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम. 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृति के आदेश का प्रारूप 6 के संबंध में।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्रतिस्थापित प्ररूप–6 के अनुच्छेद 2(3) में अंकित "कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।" आशय बाबत राज्य सेवक की सेवानिवृति के समय उक्त प्ररूप–6 की पूर्ति किये जाते समय विभागों/कार्यालयाध्यक्षों को इस अनुच्छेद 2(3) की पूर्ति के संबंध में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि "कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन है/लम्बित नहीं है" से आशय कार्मिक द्वारा सेवा के दौरान राजकीय कार्य के निष्पादन के दौरान ऐसा कोई कृत्य/कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण कार्मिक के विरूद्ध कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई हो। इससे भिन्न यदि कोई न्यायिक प्रकरण किसी कार्मिक के विरूद्ध विचाराधीन/लम्बित है तो उसकी सूचना पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु अपेक्षित नहीं होगी।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मन्त्री/राज्य मन्त्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमन्त्री कार्यालय जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. कार्य एवं प्रशासन सुधार (कॉडिफिकेशन) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
14. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर, 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित (अधीनस्थ विधायन समितियों के लिए)।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

(पेंशन– 09/2016)